

कार्यालय:-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी (म.प्र.)


॥ आदेश ॥

क्रमांक-153 / दो-06-04 / 2003

कटनी दिनांक- 04/04/24

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना दिनांक 26.03.2024 के द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदान हेतु शहडोल लोकसभा निर्वाचन हेतु दिनांक 19.04.2024 को मतदान दिवस घोषित किया गया है।


अतः माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के परिपत्र क्रं. डी/488 दिनांक 22.01.2015 तथा मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना दिनांक 26.03.2024 के अनुक्रम में शहडोल लोकसभा क्षेत्रान्तर्गत जिला कटनी की न्यायिक तहसील **ढीमरखेड़ा** में शहडोल लोकसभा निर्वाचन हेतु मतदान दिवस **19.04.2024 दिन शुक्रवार** को सामान्य अवकाश घोषित किया जाता है।

  
4/4/24  
(धरमिन्दर सिंह राठौर)  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कटनी म0प्र0

पृ. क्रमांक-785 / दो-06-04 / 2003  
प्रतिलिपि-

कटनी दिनांक- 04/04/24

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय जबलपुर म.प्र.।
2. प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय कटनी।
3. समस्त न्यायाधीशगण जिला कटनी।
4. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ कटनी / विजयराघवगढ़ / ढीमरखेड़ा / बरही।
5. कलेक्टर / पुलिस अधीक्षक जिला कटनी।
6. लेखापाल / जिला नाजिर जिला कटनी  
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
4/4  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कटनी म0प्र0